राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 21/2020 अपील

(अतंर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ आदेश 1976)

श्री डालचंद पुत्र प्यारचंद जाति बैरवा निवासी राक्षी तहसील बनेडा — बनाम — 1. जिला रसद अधिकारी भीलवाडा

–अपीलार्थी –प्रत्यर्थी/विपक्षी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा बमामले प्रकरण संख्या 73/2019 दिनांक 30.12.2019 एवं आदेश संख्या रसद/अभियोजन/2019/841 दिनांक 31.12.2019

उपस्थित –

1. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विभागीय पेरोकार – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.11.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) आदेश 1976 प्रकरण संख्या 73/2019 विरूद्व जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को एफ.पी.एस. डीलरशिप का अनुज्ञा पत्र संख्या 722/1995 अंतर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के अंतर्गत जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा जारीशुदा है। अनुज्ञा पत्र के अंतर्गत अपीलार्थी को पंचायत क्षेत्र के निवासियान को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित वस्तु का वितरण करने हेतु अपीलार्थी को अधिकृत किया हुआ है। प्रवर्तन निरीक्षक बनेड़ा ने दिनांक 17.07.2019 को अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया जाकर अनियमितता क्रम निरीक्षण दुकान बंद पाई गई, अनुमोदित गोदाम से अन्य स्थान पर दुकान स्थानान्तरित करना एवं दुकान के बाहर सूचना का प्रदर्शन न किया जाना दर्ज किया गया। उक्त निरीक्षण के आधार पर प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को दिनांक 30.07.2019 को कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को जारी करना बताया गया और प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांकित 30.07.2019 को आदेश क्रमांक 481 के द्वारा अपीलार्थी की डीलरशिप को

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

निलम्बित किया गया। प्रत्यर्थी ने दिनांक 30.12.2019 को प्रश्नगत उक्त दोनों आदेश पारित कर अपीलार्थी के पक्ष में जारी एफ. पी. एस. का प्राधिकार पत्र संख्या 722/1995 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी की जमाशुदा प्रतिभूति राशि को जप्त सरकार करने की आज्ञा पा।रेत की है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.07.2019 को किये गये उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण में प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 6, 8, 9, 11 का उल्लंघन किया जाना बताया गया है। आशय यह है कि प्राधिकार पत्र में वर्णित क्षेत्र के राशन कार्डधारियों को अपीलार्थी द्वारा विक्रय किये जाने वाले विभिन्न खाद्यान्न यथाः चीनी, गेहूं, केरोसीन आदि के वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ अथवा मिथ्या प्रविष्टी किये जाने का कोई तथ्य ही नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ और सिर्फ प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार अनुज्ञा पत्रधारी को प्रतिमाह उचित मूल्य की सामग्री विक्रय/वितरण किये जाने संबंधित मासिक रिटर्न प्रेषित करना अपेक्षित किया गया है जबकि निरीक्षण दिनांक 17.07.2019 में इस शर्त के उल्लंघन करने के संबंध में कोई आक्षेप ही नहीं है। इसी प्रकार शर्त संख्या 5 में स्टाक रजिस्टर मेन्टन करना अपेक्षित किया गया है जिसका उल्लंघन नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश के द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8 व 9 का अपालन मानते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। निरीक्षणकर्ता ने अपीलार्थी की दुकान बन्द पाये जाने के बाबत कोई पर्चा मौका आदि भी तरतीब नहीं दिया एवं सूचना पत्र दर्शित करने का भी कोई तर्कोचित आधार ही अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर है। इस प्रकार प्रश्नगत आज्ञा अपास्त योग्य है। अपीलार्थी सन 1995 से अनुज्ञाधारी होकर विधि अनुसार ही उचित मूल्य की सामग्री विक्रय/वितरण करता आ रहा है और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है और न ही उल्लंघन किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस दिनांकित 21.10.2019 जारी करना बताया है परन्तु कथित नोटिस दिनांक 21.10.2019 की तामील अपीलार्थी पर नहीं कराई गई है। अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय से उक्त नोटिस की प्रमाणित प्रति प्राप्त की है जिसके अवलोकन से ही यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि अपीलार्थी पर नोटिस की तामील ही नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांत की मंशा के विरुद्ध है। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि उक्त दुकान अपीलार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन है और अपीलार्थी को बिना सुने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही प्रश्नगत आज्ञा पारित कर अधिनस्थ न्यायालय ने अनुचितता

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कारित की है। प्राधिकार पत्र की कतिपय शर्तों के अपालन के आधार पर प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना न्यायानुमत नहीं है क्योंकि अनियमितता की इतनी गंभीरता नहीं है जिसके आधार पर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध ऐसा कोई आक्षेप, आरोप, शिकायत आदि नहीं है कि अपीलार्थी ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की हो अथवा किसी प्रकार की गड़बड़ की गई हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित कर अपीलार्थी के जीवनयापन के साधन को समाप्त कर निश्चित रूप से अनुचितता कारित की है। यह भी कि अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया। प्राधिकार पत्र में अनुमोदित दुकान चूंकि जीर्ण होकर गिरने की अवस्था में थी इसलिये अपीलार्थी ने विवश होकर पास ही अन्य परिसर रामा रेबारी की दुकान में संचालन किया है और इस बारे में किसी कार्डधारी की शिकायत नहीं है। यह तथ्य भी न्यायालय के विचारणीय है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राधिकार निरस्त करने संबंधित प्रश्नगत आदेश की तामील अपीलार्थी पर नहीं कराई है और अपीलार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 15.01.2020 को प्रश्नगत आदेश की जानकारी हुई जिसकी प्रमाणित प्रति का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 22.01.2020 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह तथ्य भी स्थापित है कि अधिनस्थ न्यायालय ने सारी कार्यवाही गोपनीय तरीके से सम्पादित कर अपीलार्थी के अधिकारों को कुंठित किया है। अतः प्रार्थना है कि अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 73/2019 सरकार विरुद्ध डालचंद बैरवा में दिनांक 30.12.2019 को पारित प्राधिकार निरस्तीकरण करने का निर्णय एवं आदेश संख्या रसद / अभियोजन/ 2019/ 841 दिनांक 31.12.2019 जिसके द्वारा प्रतिभूति राशि जप्त सरकार करने की आज्ञा पारित की गई है को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी के पक्ष में जारी प्राधिकार संख्या 722/1995 को बहाल किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की अनुकम्पा करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 06.02.2020 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 20.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से रिकार्ड प्रेषित किया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त दुकान अपीलार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन है और अपीलार्थी को बिना सुने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही प्रश्नगत आज्ञा पारित कर अधिनस्थ न्यायालय ने अनुचितता कारित की है। प्राधिकार पत्र की कतिपय शर्तों के अपालन के आधार पर प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना न्यायानुमत नहीं है क्योंकि अनियमितता की इतनी गंभीरता नहीं है जिसके आधार पर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध ऐसा कोई आक्षेप, आरोप, शिकायत आदि नहीं है कि अपीलार्थी ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की हो अथवा किसी प्रकार की गड़बड़ की गई हो। प्राधिकार पत्र में अनुमोदित दुकान चूंकि जीर्ण होकर गिरने की अवस्था में थी इसलिये अपीलार्थी ने विवश होकर पास ही अन्य परिसर रामा रेबारी की दुकान में संचालन किया है और इस बारे में किसी कार्डधारी की शिकायत नहीं है। यह तथ्य भी न्यायालय के विचारणीय है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राधिकार निरस्त करने संबंधित प्रश्नगत आदेश की तामील अपीलार्थी पर नहीं कराई है।प्रार्थना है कि अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 73/2019 सरकार विरुद्ध डालचंद बैरवा में दिनांक 30.12.2019 को पारित प्राधिकार निरस्तीकरण करने का निर्णय एवं आदेश संख्या रसद / अभियोजन/ 2019/ 841 दिनांक 31.12.2019 जिसके द्वारा प्रतिभूति राशि जप्त सरकार करने की आज्ञा पारित की गई है को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी के पक्ष में जारी प्राधिकार संख्या 722/1995 को बहाल किये जाने की आज्ञा प्रदान करें। अपीलार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त मा. सुप्रीम कोर्ट केसेज 496 कांति एसोसियेट प्रा. लि. व अन्य बनाम मसूद अहमद खान व अन्य पेश किये।

रेस्पोडेण्ट की ओर से विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में बताया कि न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 73/2019 में दिनांक 30.12.2019 को पारित निर्णय में सभी तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए प्रकरण में जारी नोटिस का उल्लघंन कर शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्राधिकार पत्र संख्या 722/1995 को निरस्त किया गया हैं, जो सही है एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिस अनुसार पाया गया कि अपीलार्थी ने वक्त निरीक्षण दुकान बंद पाये जाने का कोई कारण स्पष्ट नही किया। इसी प्रकार अपीलार्थी को जिस दुकान हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया हुआ था, उससे भिन्न स्थान पर अपीलार्थी ने बिना विभागीय स्वीकृति एवं सूचना दिये ही दुकान स्थानान्तरित कर दी, एवं एक वर्ष से अधिक समय से अपीलार्थी द्वारा वह दुकान संचालित भी की जा रही थी, जो अपीलार्थी द्वारा गंभीर अनियमितता किये जाने का स्पष्ट द्योतक हैं। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के बाहर कोई सूचना प्रदर्शन बोर्ड नही होने से आमजन को अनावश्यक काफी परेशानियों का भी सामना करना पडा एवं बोर्ड नही होने से अपीलार्थी द्वारा की जाने वाली अनियमिताओं से इंकार नही किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त अनियमिताओं के जवाब बाबत् अपीलार्थी को कई अवसर दिये गये। किन्तु अपीलार्थी ने खण्डन बाबत् कोई साक्ष्य व रिकार्ड प्रस्तुत नही किये। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 73/2019 में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने से दिनांक 30.12.2019 को निर्णय पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) के तहत अपीलार्थी की अपील सारहीन व तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)